

राजस्थान सरकार
राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

परिशोधन आवेदन पत्र संख्या : 23/2011/अलवर

मैसर्स कृष्णा इंजीनियरिंग वर्क्स, भिवाडी

.....प्रार्थी

बनाम्

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन, डूंगरपुर

.....अप्रार्थी

एकलपीठ
राकेश श्रीवास्तव, अध्यक्ष

उपस्थित ::

श्री अलकेश शर्मा,
अभिभाषक।

.....प्रार्थी की ओर से

श्री रामकरण,
उप-राजकीय अधिवक्ता,

.....अप्रार्थी की ओर से

दिनांक : 04.12.2014

निर्णय

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 37 राजस्थान विक्रय कर अधिनियम,1994 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जाकर राजस्थान कर बोर्ड की एकलपीठ के आदेश दिनांक 01.04.2011 को संशोधित करने के सम्बन्ध में है। वकील प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने Induction Molting Furnace 40 KW/3000HZ मैसर्स इन्टीग्रल इन्डक्शन प्रा.लि. मेहसाणा (गुजरात) से रु. 04,08,400/- क्रय किया जिसकी रसीद संख्या 06 दिनांक 17.09.1999 जारी की गयी। Induction Molting Furnace को मेहसाणा (गुजरात) से भिवाडी (अलवर) केलिये परिवहनित किया जा रहा था। वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, डूंगरपुर द्वारा वाहन में लदे माल से सम्बन्धित दस्तावेज मांगने पर वाहन चालक ने माल से सम्बन्धित डिलीवरी चालान, जी आर संख्या 2040 दिनांक 17.09.1999 एवं गुजरात सरकार का परिपत्र संख्या 45 ए प्रस्तुत किया और साथ ही घोषणा पत्र 18 ए संख्या 288/06 भी प्रस्तुत किया जो कि पूर्ण रूप से रिक्त पाया गया। इस पर सम्बन्धित वाणिज्यिक कर अधिकारी ने राजस्थान विक्रय कर अधिनियम,1994 की धारा 78(2)(ए) सपटित नियम 53 का उल्लंघन मानते हुये प्रार्थी व्यवहारी को अधिनियम की धारा 78(5) के अन्तर्गत शास्ती आरोपण करने का नोटिस जारी किया। प्रार्थी व्यवहारी द्वारा जवाब प्रस्तुत करते हुये जाहिर किया गया कि उनके द्वारा आयातीत मशीन स्वयं उत्पादन केलिये क्रय की गयी है न कि विक्रय हेतु एवं उन्हे आयातीत माल के contents का ज्ञान नहीं होने के कारण घोषणा पत्र में इसका इन्द्राज

५-

नहीं किया। वाणिज्यिक कर अधिकारी, डूंगरपुर द्वारा प्रार्थी व्यवहारी के जवाब से असन्तुष्ट होते हुये रिक्त घोषणा पत्र एस टी 18 ए से माल परिवहनीत किये जाने के आरोप में व्यवहारी के विरुद्ध धारा 78 (5) के तहत शास्ती रु. 01,82,520/- आरोपण का आदेश दिनांक 23.09.1999 को पारित किया। प्रार्थी व्यवहारी द्वारा वाणिज्यिक कर अधिकारी के उक्त आदेश के विरुद्ध अपील उपायुक्त (अपील्स) के समक्ष प्रस्तुत की गयी जिन्होंने वाणिज्यिक कर अधिकारी के आदेश को निरस्त किया। उपायुक्त (अपील्स) के उक्त निर्णय से व्यथित होकर विभाग ने राजस्थान कर बोर्ड के समक्ष अपील दायर की।

प्रार्थी व्यवहारी का कहना है कि दिनांक 01.04.2011 को राजस्थान कर बोर्ड की एकलपीठ द्वारा पारित आदेश में उनके विरुद्ध इकतरफा कार्यवाही गयी जिससे व्यथित होकर उन्होंने संशोधन प्रार्थना पत्र कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया। प्रार्थी व्यवहारी का कहना है कि Induction Molting Furnacc नियम 53 (1)(III) में अधिसूचित नहीं होने के कारण उसे फार्म 18 ए जमा कराने केलिये बाध्य नहीं किया जा सकता। प्रार्थी व्यवहारी ने न्यायालय का ध्यान दिनांक 31.08.1999 को हुई एक बैठक की ओर आकर्षित किया जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि यदि फार्म 18 ए प्रस्तुत नहीं किया है तो सम्बन्धित व्यवहारी को चैक पोस्ट पर इसे पूर्ण करने का अवसर दिया जाय जिससे कि उनके विरुद्ध शास्ति की कार्यवाही न हो सके। प्रार्थी व्यवहारी का कहना है कि यद्यपि उन्होंने कर बोर्ड के समक्ष उपस्थित होने केलिये श्री जे. एन.शर्मा, अधिवक्ता को नियुक्त किया था परन्तु किसी कारणवश अधिवक्ता का नाम उनके प्रकरण के समक्ष कॉजलिस्ट नहीं पाया जिस कारण दिनांक 01.04.2011 को श्री जे.एन.शर्मा कर बोर्ड के समक्ष प्रार्थी व्यवहारी का पक्ष नहीं रख सके। उनका कहना है कि दिनांक 01.04.2011 को माननीय कर बोर्ड ने गुणावगुण के आधार पर उनके प्रकरण का निस्तारण किया जिसमें दिनांक 23.09.1999 को उनके अधिवक्ता श्री पी.के.गुप्ता द्वारा वाणिज्यिक कर अधिकारी, डूंगरपुर को दिये गये जवाब को ध्यान में नहीं रखा गया। प्रार्थी व्यवहारी का यह भी कहना है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने 30 टी यू पृष्ठ 74 में इसी प्रकार का एक निर्णय सुनाया है और इस कारण माननीय कर बोर्ड का निर्णय दिनांक 01.04.2011 परिशोधन के योग्य है।

पैरोकार सरकार ने तर्क दिया कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय का निर्णय माननीय कर बोर्ड के आदेश दिनांक 01.04.2011 के बाद जारी किया गया है और इस प्रकार प्रस्तुत संशोधन प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। उनका यह भी कहना है कि प्रार्थी व्यवहारी को वाणिज्यिक कर अधिकारी डूंगरपुर के समक्ष अपना पक्ष रख कर आग्रह करना था कि चूंकि Induction Molting Furnacc नियम 53 (1)(III) में अधिसूचित नहीं है अतः फार्म एस टी

18ए दिया जाना आवश्यक था। पैरोकार सरकार का यह भी कहना है कि यह तर्क माननीय कर बोर्ड के समक्ष नहीं किया जा सकता एवं प्रार्थी व्यवहारी संशोधन की आड में माननीय कर बोर्ड के पूर्व आदेश दिनांक 01.04.2011 के विरुद्ध अपील प्रस्तुत कर रहा है जो अनुचित है। यदि उन्हे अपील प्रस्तुत करनी है तो उचित न्यायालय में प्रस्तुत करें।

अपने रिजोइण्डर आरग्यूमेंट में वकील प्रार्थी का कहना है कि पैरोकार सरकार ने गुलजग प्रकरण का हवाला दिया है जिसे माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्णित किया है। गुलजग प्रकरण में फार्म 18ए भरा जाना अनिवार्य था फिरभी सम्बन्धित व्यवहारी ने इसे नहीं भरा था। जबकि राजस्थान कर बोर्ड के समक्ष वर्तमान प्रकरण में फार्म 18ए भरा जाना अनिवार्य नहीं है।

हमने तर्क वितर्क पर मनन किया। राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 की धारा 37 इस प्रकार है - (1) With a view to rectifying any mistake apparent from the record, any officer appointed or any authority constituted under the Act may rectify suo motu or otherwise any order passed by him.

Explanation:- A mistake apparent from the record shall include an order which was valid when it was made and is subsequently rendered invalid by an amendment of the law having retrospective operation or by a judgement of the Supreme Court, the Rajasthan High Court or the Rajasthan Tax Board.

(2) No application for rectification shall be filed under sub-section (1) after the expiry of a period of three years from the date of the order sought to be rectified.

(3) Where an application under sub-section (1) is presented to the assessing authority, appellate authority or Tax Board and receipt thereof is obtained, it shall be disposed of within a period of one year from the date of presentation and where such application is not disposed of within the said period, the same shall be deemed to have been accepted.

(4) No, rectification under this section shall be made after the expiry of four years from the date of the order sought to be rectified.

(5) An order of rectification which has the effect of increasing the liability of a dealer in any way shall not be made without affording him an opportunity of being heard.

इसके पठन से विदित है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वैद्य आदेश देने के उपरान्त यदि उच्चतम न्यायालय, राजस्थान उच्च न्यायालय अथवा राजस्थान कर बोर्ड कोई आदेश पारित करे जो कि भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया जाय तो संशोधन का प्रार्थना पत्र लाया जा सकता है। इस प्रकरण में राजस्थान कर बोर्ड ने अपने आदेश दिनांक 01.04.2011 को सुनाया है जबकि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश 30 टी यू पृष्ठ 74 मई 16-31, 2011 को प्रकाशित हुआ है। यह आदेश भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त दिनांक 01.04.2011 को जब राजस्थान कर बोर्ड द्वारा आदेश




प्रशासित किया गया उस समय माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश की जानकारी नहीं होना सम्भव है। इसके अतिरिक्त राजस्थान कर बोर्ड का आदेश दिनांक 01.04.2011 एकपक्षीय होने के बाद भी गुणावगुण के आधार पर जारी किया गया है और यदि प्रार्थी व्यवहारी इस आदेश व्यथित है तो उन्हे इस आदेश के विरुद्ध नियमित रूप से अपील की जानी चाहिये न कि इस आदेश विरुद्ध संशोधन प्रार्थना पत्र देने की कार्यवाही की जानी चाहिये। मैं पैरोकार सरकार के इस तर्क से भी सहमत हूं कि प्रार्थी व्यवहारी द्वारा फार्म 18 ए की अनिवार्यता नहीं होने के सम्बन्ध में तर्क वाणिज्यिक कर अधिकारी डूंगरपुर के समक्ष प्रस्तुत की जानी चाहिये और सशक्त रूप से इसकी पैरवी की जानी चाहिये। राजस्थान कर बोर्ड के समक्ष फार्म 18 ए की अनिवार्यता के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी व्यवहारी के अधिवक्ता श्री पी.के.गुप्ता ने इस सम्बन्ध में दिनांक 23.09.1999 को एक प्रार्थना पत्र वाणिज्यिक कर अधिकारी, डूंगरपुर को प्रस्तुत किया परन्तु वाणिज्यिक कर अधिकारी डूंगरपुर द्वारा इसे माना नहीं गया।

अतः मैं इस निर्णय पर पहुंचता हूं कि दिनांक 01.04.2011 के राजस्थान कर बोर्ड के आदेश अपील संख्या 393/06 अलवर में किसी संशोधन की आवश्यकता इस स्तर पर प्रतीत नहीं होती है।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी व्यवहारी का परिशोधन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 37 राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 को निरस्त किया जाता है।

निर्णय सुनाया गया।


(राकेश श्रीवास्तव)

अध्यक्ष